भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। जिससे भूमि का किस्म भी परिवर्तित की जा रही है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **अप्रार्थी** को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थी** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा में स्थित खसरा संख्या 1146/24 रकबा 9.4453 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला—ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला—ब्यावर (राज0)